न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
68 / 2021	FSS ACT	08.04.2021	11.07.2025

1. श्री विश्वबन्धु गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

–आवेदक

बनाम

श्री कमल सिंह पुत्र श्री ननकाराम (दूध विक्रेता) ओदी का पुरा तह0 / जिला धौलपुर

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय **दिनांक 11.07.2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विश्वबन्धु गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अंतर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) 51 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 23.09.2020 को लगभग 10:30 AM पर दौराने गश्त ओडेला रोड, धौलपुर पर पहुंचा वहां खडी मोटर साईकिल उक्त विक्रेता को मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया जिस पर विक्रेता ने अपना नाम कमल सिंह पुत्र श्री ननकाराम (दूध विक्रेता) ओदी का पुरा तह0 / जिला धौलपुर बताया। मौके पर विक्रेता द्वारा खाद्य अनुज्ञापत्र नही होना जाहिर किया तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में मोटर साईकिल पर बंधी कैन में लगभग 20 लीटर मिश्रित दूध रखा हुआ था मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर विक्रेता की उपस्थिति में नमूना वास्ते जांच लेने की सूचना फार्म नं0 05 अ की प्रति स्वतन्त्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली लो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मिश्रित दूध में से 02 लीटर वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 74 / – रूपये नगदी चुका कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है, उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये मिश्रित दूध को 02 लीटर को चार भागो में विभक्त कर साफ एवं सूखी कॉच की बोतलो में भरकर 40–40 बूंदे फार्मेलिन की डालकर ढक्कन लगा कर एयर टाईट बंद किया मेरे द्वारा चार लेबल तैयार किये गये जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज से लपेट कर अभिहित अधिकारी धौलपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक डी–1805 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपका कर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पहुंच कर फार्म नं0 06 की प्रति तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 06 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नम्बर 06 की अलग से शील्ड लिफाफे में पत्र वाहक विश्वबन्धु गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक, अलवर को जमा कर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बंद नमूना का चौथा भाग फार्म संख्या 06 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की प्रति के डी ओ (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर) को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक 186 दिनांक 21.10.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच Report No. L.S./479/Act/2020/550 Date:-05-10-2020 के अनुसार विक्रेता वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध सब स्टेण्डर्ड (SUB-Standard) पाया गया है। जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 186 दिनांक 21.10.2020 की पालना में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्त ने सब स्टेण्डर्ड (SUB-Standard) खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध विक्रय कर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की उपधारा 2(ii) का उल्लघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तत कर निवेदन है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त एवं उनके अभिभाषक द्वारा जबाव पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाव पेश नही कर दिनांक 13.06.2025 को सीधी बहस करनी चाही। बहस अधिवक्ता अभियुक्त सुनी गई। बहस के दौरान वकील अभियुक्त ने कथन किए गए कि

Scanned with OKEN Scanner

सब स्टेण्डर्ड (SUB-Standard) फैट 4.5% होनी चाहिए परंतु 3.99% है मिल्क सोलिड फैट 7% से 8.50% परंतु नमूना में 7.21% है। बाकी अन्य सभी स्टेण्डर्ड सही पाये गए। अतः दियाभाव करते हुए क्षमा किया जावे क्योकि अभियुक्त का आजिविका का साधन यही है।

हमारे द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न FOOD SAFETY & STANDERDS LABORATORY अलवर की Report No. L.S./479/Act/2020/550 Date:-05-10-2020 का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार हैः—

"Opinion- The sample of "Mixed Milk" bring Code No- and Serial No- D-1805 of D.O. Dholpur is SUB- Standard food, U/s 3(1)(zx) of FS&S Act,2006. It dose not conform to the purity standards of proprietary Food, Mixed Milk, as per the provisions of FS&S Safety Rugulations 2011. FAT&SNF contents are low.

अभियुक्त द्वारा सब स्टेण्डर्ड (SUB-Standard) प्रकृति की पेय वस्तु (दूग्ध) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघन किया है। अभियुक्त द्वारा की गई बहस व पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत है कि आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई कार्यवाही न्यायोचित है। अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अभियुक्त को 500/—(अक्षरे पांच सौ रूपये मात्र) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है किवह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि में जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर में पेश करें अन्यथा बाद गुजरने म्याद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को व एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की एक प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner